भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 620

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

कोयला वितरण नीति की समीक्षा

620. श्री कीर्ति आज़ादः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला ब्लॉकों के पुनर्आबंटन को ध्यान में रखते हुए लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयला वितरण नीति की समीक्षा और संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क), (ख) और (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कोयले का आवंटन दिनांक 18.10.2007 की नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अनुसार किया जाता है, इसके बाद इसमें दिनांक 26.07.2013, 04.09.2013, 27.09.2016 और 11.04.2022 को संशोधन किए गए, जहां एमएसएमई जिनकी आवश्यकता प्रति वर्ष 10,000 टन से कम है, वहां राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित राज्य नामित एजेंसियों (एसएनए) के माध्यम से कोयला वितरित किया जाता है। इसके अलावा, एमएसएमई इकाइयां पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन, कोयला कंपनियों द्वारा संचालित सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक ई-नीलामी और गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी के माध्यम से भी कोयला प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। वर्तमान में, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को कोयले की आपूर्ति करने के लिए मौजूदा कोयला वितरण नीति की समीक्षा और संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****